| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 28/11/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० जवाब प्रा०पत्र मय वकालतनामा पेश, प्रति दिलायी। आ०फा० पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दि० 18/12/25 को पेश हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) |
| 18/12/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 08/01/26 को पेश हो।<br>[signature]<br>18/12/25<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) |
| 08/01/26 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/बहस प्रा०पत्र सुनी गई। प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष, प्रा०पत्र u/s 212 RT Act, स्थगन आदेश दिनांक 30/7/25 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय/आदेश u/s 212 RT Act दिनांक 30/07/2025 में [illegible] भी दुरुस्त किये जाने [illegible] आदेश दिनांक 30/7/2025 [illegible] अपील दर्ज होकर मिसल तलबी सूचना दिनांक 22/12/2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हो चुकी |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| है जिसमें next hearing date दिनांक 07/01/2026 नियत थी। इसके Review Application दिनांक 30/10/2025 को पेश होकर दिनांक 03/11/2025 को दर्ज रजिस्टर हुई थी जबकि अपीलार्थी द्वारा RAA Kota के समक्ष अपील दिनांक 28/08/2025 को (सं० 187/2025) पेश होना जाहिर होता है। अतः स्पष्ट है कि अपील पहले दर्ज हुई थी, समीक्षा प्रा० पत्र बाद में दर्ज हुआ है। | |
| 2. प्रकरण में केवल typing or clarical error को दुरुस्त करने के लिये यह प्रा०पत्र u/s 152 cpc पेश किया गया है। इसी न्यायालय का यह मत है कि जब किसी प्रकरण में पुनर्विचार याचिका (Review petition) दाखिल होने के बाद अपील (Appeal) दाखिल की जाती है, तो पुनर्विचार याचिका के निपटारे तक अपील की सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिए और अपील पर निर्णय या पुनर्विचार याचिका की स्वीकृति से अन्य याचिकाओं की सुनवाई समाप्त हो जानी क्योंकि अपील के अधीन डिक्री या निर्णय या आदेश की तामील के परिणामस्वरूप पुनर्विचार के लिये मांगी गई डिक्री या निर्णय, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य डिक्री से प्रतिस्थापित हो जाती है। | |
| 3. It is well [illegible] प्रक्रिया संहिता) [illegible] और अपील (Appeal) को एक साथ कार्यवाही की कोई परिकल्पना नहीं की गई है लेकिन इसमें विशेष | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | रूप से यह प्रावधान भी नहीं है कि अपील दायर होने के बाद समीक्षा आवेदन अमान्य हो जायेगा, और इसलिये appeal दायर होने मात्र से कोई समीक्षा प्रार्थना पत्र अमान्य नहीं हो जाता है अतः ऐसे review application को अधिकारिता रखने वाले court द्वारा उसका निर्णय किया जाना चाहिये। यदि cpc में स्पष्ट कहा गया है कि अपील दायर होने के बाद भी review application की सुनवाई होनी चाहिए, तो अपील दायर होने के बाद समीक्षा प्रार्थना पत्र की सुनवाई होनी चाहिए। इसकी सुनवाई अपीलीय कोर्ट के उस आदेश पर निर्भर नहीं होनी चाहिए जिसमें समीक्षा आवेदन के निपटारे तक अपील की सुनवाई लंबित रखने का निर्देश दिया गया है। किसी मामले या अपील का भाग्य समीक्षा प्रार्थना पत्र या अपील के निर्णय की सापेक्ष प्राथमिकता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित सिद्धान्त होना चाहिए कि किस पक्ष को कौनसा उपाय या आदेश उपलब्ध होगा और किन परिस्थितियों में उपलब्ध होगा। |
| | 4. आदेश 47 नियम 1, उप [illegible] के तहत अपील दायर करने [illegible] बाद [illegible] पुनर्विचार के लिए आवेदन प्रस्तुत [illegible] है बशर्ते कि पुनर्विचार के आवेदन न हो। हालाँकि, इसके प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है कि अपील |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | दायर करने के बाद प्रस्तुत किये गये हों, ज्ञात केवल उन्हीं मामलों तक सीमित होगी जिनका निर्णय और आदेश द्वारा अपील भी नहीं किया जा सकता है। जब वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष वह मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जिस पर वह पुनर्विचार के लिये आवेदन करना चाहता है। यहां धारा-114 cpc का भी अवलोकन किया जाना/ | |
| | 6. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 152 cpc खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो। | |
| | उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner